श्री घटल बिहारी वाजपेयी: स्टेटमेंट हिन्दी में है, लेकिन रिपोर्ट हिन्दी में नहीं है। यह बहाना नहीं चलेगा कि यह एक मोटी किताब है, इस लिए इस का हिन्दी रूपान्तर तैयार करना कठिन है।

श्री धर्मश्रीर सिंह: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रभाषा के प्रति मेरे मंत्रालय में ग्रनादर की भावना नहीं है। ग्रगले वर्ष से यह रिपोर्ट हिन्दी में भी रखी जायेगी।

13.04 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha: -

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Navy (Amendment) Bill, 1973, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd November, 1973."

NAVY (AMENDMENT) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table of the House the Navy (Amendment) Bill, 1973, as passed by Rajya Sabha.

13.05 hrs

BURN COMPANY AND INDIAN STANDARD WAGON COMPANY MANAGE-(TAKING OVER OF MENT) BILL*

HEAVY MINISTER OF THE AND INDUSTRY AND STEEL

MINES (SHRI T. A. PAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the taking over, in the public interest, of the management of the undertakings of certain companies, pending nationalisation of such undertakings, with a view to ensuring rational and co-ordinated development and production of rolling stock, other products of iron and steel industry and other goods needed by such industry, and for matters connected therewith or incidental thereto.

श्री मधु लिमये (बांका) : ग्रध्यक्ष महोदय, इस में तीन महे उठते हैं।

पहला तो यह कि स्राज मबेरे इस वधेयक के साथ जो वक्तव्य परिचालित किया गया है. उस में मंत्री महोदय ने कारण बताया है कि वह दो दिन का नोटिस क्यों नहीं देपाये। ग्रगरग्रापडस को एक ग्रीपचारिक बात समझते हैं, तो मझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ग्रगर ग्राप इस विधेयक के स्टेटमेंट म्राफ म्राबजेक्टस एण्ड रीजन्ज को देखेंगे. तो ग्राप को पता चलेगा कि यह मामला बहत पुराना है। श्रसें से मजदूर संगठन इस के बारे में शिकायत कर रहेथे। इन कम्पनियों में घोटाला, ग्रव्यवस्था ग्रीर बद-इन्तजामी थी। तो फिर मंत्री महोदय को ऐसा कौंन सा विलम्ब का कारण हम्रा कि वह दो दिन का नोटिस नहीं दे सकते थे ? अध्यक्ष महोदय, इस महे पर ग्राप को निर्णय करना है। ग्राप इस बारे में एक आदेश जारी कीजिए।

दमरे, मेमोरेंडम रिगार्डिना डेलीगेटिड लेजिसलेशन में कहा गया है कि यह एक साधारण नियम बनाने का प्रावधान है. डेलीगेटिड लेजिसलेशन है। लेकिन यदि म्राप इस विधेयक की धारा 4 की म्रोर ध्यान देंगे, तो स्राप को पता चलेगा कि इन कम्पनियों के सरकार के हाथ में चले जाने के बाद उन के ढांचे के बारे में क्या योजना होगी, उस की क्या रूपरेखा होगी, इस का

^{*}Published in Gazette of India dated 28-11-73.